

मु. अ. 33-4-2,000-10 नारा फ.

FORM NO. III

A P P-A
crim-f

फर्द अहकाम
(नियम 26)



अज अदाजत

मुकाम

वसि सिंह

बनाम

उधारीगण व गा.प. 2म.2.

किस्म मुकदमा

निगम पंचायत

नं.

9

तम्

2013.

सारीख हसन	हुदम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्बर व तारीख अहकाम की हुदम की तारीख में जारी तय
4-2-13.	निगमानीकती के अ. उपो. निगमानी काद रिपोर्ट पेस हुई। रिपोर्ट का अंतिम किपा गया। निगमानी में अग्रद के बिन्दू पर निगम को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रखिं किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उधारीगण व रेकार्ड तखब किया जाने। पत्रावली दिनांक 12-3-13 को पेस डो।	4-20-21 व्या/2/13
12-3-13	कार संख्या के अस्तावापुरार अभिसमाखकबण द्वारा अग्रद कार्य स्थगित किया हुआ है। उधारीगण के नोटिस के रेकार्ड जात नहीं हुआ है। अस्त पत्र जारी करें। पत्रावली दि. 9-4-13 को पेस डो।	
9-4-13	कार संख्या द्वारा अग्रद कार्य स्थगित किया हुआ है। AOM 88 माठ मुख्य अंगीसके के वारे में अस्त है। रेकार्ड जात नहीं हुआ है। अस्त आदेश की तखब से तखब करें। नि.कती के अ. नोटिस तखबाना पत्रावली जारी करें। पत्रावली दि. 03/5/13 को पेस डो।	

निग. पंच० - ०९
२०१३
दस्तावेज / जमावरी व गु. प. २ ML
दिव्यणी

२२
५

२५ दि नि०वक्तो के अधिवक्ता उपस्थित। विक्टोडे
तमब कर, पत्रावली विनांक १०.११.१७ को

१०.११.२०१७ पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित नहीं। अधिवक्ता
अपीलान्त को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर बार-बार आवाजे
लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम
हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित
ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे।
पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद
तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।



आदेश सुनाया गया।

दिव्यणी कलेक्टर (प्रासन)
सोनपटना